पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2007 ई0 (बैशाख 15, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	89–91	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	237–239	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	13–14	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति / तैनाती

23 अप्रैल, 2007 ई०

संख्या 100 / XXVII(9) / स्टाम्प / 2007–तात्कालिक प्रभाव से स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2006–2007 में उप–महानिरीक्षक, निबन्धन, वेतनमान, रुपये 10,000–15,200 के पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री अम्बरीष चन्द्र भारती को पदोन्नत करते हुए उप–महानिरीक्षक, निबन्धन, नैनीताल के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

शासन के उक्त निर्णय के अनुपालन में संबंधित अधिकारी तैनाती के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

(शक्ति)

26 अप्रैल, 2007 ई०

संख्या 123 / XX–2 / 109 / विविध / 2007–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर, राज्यपाल उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की वर्ष 2006–07 की परीक्षा के लिये समस्त वरिष्ठ केन्द्राध्यक्षों / सहायक केन्द्राध्यक्षों, कुल सचिव, उप कुल सचिव तथा परीक्षा नियन्त्रकों को दिनांक 25 अप्रैल, 2007 से 11 मई, 2007 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

एन०एस० नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 123/Home-2/109/Exam./2007,** dated April 26, 2007 for general information :

NOTIFICATION

(Power)

April 26, 2007

No. 123/Home-2/109/Exam./2007–In exercise of the power, conferred lay section 21 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint the Senior Superintendents, Assistant Superintendents, Registrar, Deputy Registrar and Examination Controllers of all the Examination Centres of the Examinations being conducted by the Uttarakhand Sanskrit University, Hardwar as Executive Magistrates and confer all such powers on them as may be conferred on Executive Magistrates, under the Code, for the penod beginning 25 April, 2007 to 11 May, 2007, which they may use within the area of examination Centres of which they are Superintendents.

By Order,

N.S. NAPALCHYAL,
Principal Secretary.

Finance Section–1

NOTIFICATION

March 30, 2007

No. 281 A/XXVII(1)/2007–In exercise of the powers vested under clause(g) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) Act, 1972 (U.P. Act of 1972) as amended by the Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) (Amendment) Act, 1975 (U.P. Act 17 of 1975), the Governor is pleased to extend the period of the "PRIME MINISTER'S ROJGAR YOJANA FOR PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE FOR SELF EMPLOYMENT TO EDUCATED UNEMPLOYED YOUTH IN UTTARAKHAND BY COMMERCIAL BANKS" up to 31 March, 2007 which was declared as State sponsored Scheme *vide* Notification No. S-T-N-4/166/11-99, dated Nov. 25, 1993 and was amended and extended up to 31 March, 2003 *vide* Notification No. 374/75-Banking/2000/ C 38/97-98-2000, dated 13 May, 2000.

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary, Finance.

राज्य सम्पत्ति विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

10 अप्रैल, 2007 ई०

संख्या 156/xxxii/2007–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी (वेतनमान 6500–10500) की चयन वर्ष 2006–2007 में प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा किये गये चयन के आधार पर विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध संस्तुत निम्नलिखित व्यवस्थापक जिन्हें स्थानापन्न रूप से व्यवस्थाधिकारी पद पर प्रोन्नत किया गया था, को व्यवस्थाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में तैनात किया जाता है :–

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री नवीन चन्द्र उप्रेती, व्यवस्थाधिकारी, राज्य अतिथि गृह, नैनीताल	राज्य अतिथि गृह, नैनीताल।
2.	श्री रंजन मिश्रा, व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली	उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
3.	श्री सोहन सिंह रावत, व्यवस्थाधिकारी, राज्य अतिथि गृह, डाम कोठी, हरिद्वार	राज्य अतिथि गृह, डाम कोठी, हरिद्वार।

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 16 हिन्दी गजट/194–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2007 ई0 (बैशाख 15, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

16 मार्च, 2007 ई0

संख्या 33/XIV/79/प्रशा0 अनु0–अ–श्रीमती नीलम राजा, न्यायिक दण्डाधिकारी, हरिद्वार को दिनांक 05–03–2007 से 08–03–2007 तक 04 दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

ह0/–
रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL

NOTIFICATION (CORRIGENDUM)

April 02, 2007

No. 39/UHC/Admin. A/2007–In Court's Notification No. 34/UHC/Admin.A/2007, dated 28.03.2007 Sri Ramesh Chandra Khulbe, Addl. District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital be read as Addl. District & Sessions Judge/I[st] F.T.C. Haldwani, District Nainital.

April 02, 2007

No. 40/UHC/Admin.A/2007–In Court's Notification No. 35/UHC/Admin. A/2007, dated 28.03.2007 Sri Ashish Naithani, Addl. District & Sessions Judge, Haldwani be read as Addl. District & Sessions Judge/1[st] F.T.C., Haldwani, District Nainital.

By Order of the Court,
Sd/–
V.K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

04 अप्रैल, 2007 ई०

संख्या 41/XIV/16/प्रशा० अनु०–अ–श्री अशोक कुमार ककड़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर को दिनांक 05–02–2007 से 27–02–2007 तक 23 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 04–02–2007 रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

04 अप्रैल, 2007 ई०

संख्या 42/XIV/90/प्रशा० अनु०–अ–श्री मिथिलेश झा, सिविल जज (अ०ख०), कर्णप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 12–03–2007 से 19–03–2007 तक 08 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 10–03–2007 एवं 11–03–2007 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

ह०/–
रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 05, 2007

No. 43/XIV-71/Admin.A/2007--Smt. Neena Agarwal, Civil Judge (Sr. Div.), Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 11 days *i.e.* from 05.02.2007 to 15.02.2007 with permission to prefix 04.02.2007 being Sunday holiday and to suffix 16.02.2007 being Maha Shivratri holiday.

April 05, 2007

No. 44/XIV--95/Admin.A--Km. Kusum, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora, is hereby sanctioned earned leave for 48 days *i.e.* from 12.02.2007 to 31.03.2007 with permission to prefix 10.02.2007 and 11.02.2007 being IInd Saturday and Sunday holidays respectively and to suffix 01.04.2007 being Sunday holiday.

April 07, 2007

No. 45/XIV--94/Admin.A--Smt. Archana Sagar, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, Distt. Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 18 days *i.e.* from 13.03.2007 to 30.03.2007 with permission to suffix 31.03.2007 and 01.04.2007 being Mahavir Jayanti & Sunday holiday respectively.

By Order of the Court,
Sd/--
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

April 11, 2007

No. 46/UHC/Admin.A/2007--Sri Ramesh Chandra Khulbe, Addl. District & Sessions Judge, Roorkee, Distt. Hardwar is hereby nominated as Special Judge (Essential Commodities Act) for the territorial jurisdiction of Tehsil Roorkee, District Hardwar U/S 12-A(2) of Essential Commodities Act, 1955, in addition to his duties.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,
Sd/–
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

April 07, 2007

No. 47/XIV–63/Admin.A/2007--Ms. Neetu Joshi, Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 03 days *i.e.* from 17.10.2006 to 19.10.2006.

By Order of the Court,
Sd/--
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

April 20, 2007

No. 48/XIV–13/Admin.A/2007–Sri S.N. Singh, Special Judicial Magistrate, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 03 days *i.e.* from 14.12.2006 to 16.12.2006.

April 21, 2007

No. 49/UHC/Admin.A/2007–Pursuant to the Government Notification No. 178/XXXVI(1)/2006–19/2000, dated 20.04.2007, issued in exercise of the powers vested U/s 21 of the General Clauses Act, 1904, read with Section 5(2) of U.P. Gangsters & Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 and Section 86 of the U.P. Reorganization Act, 2000 (Act No. 29 of 2000) Sri Uttam Singh Nabiyal, Addl. District & Sessions Judge/3rd F.T.C., Hardwar, is conferred powers to preside over the Special Court at Hardwar constituted under U.P. Gangsters & Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, in addition to his duties.

April 21, 2007

No. 50/UHC/Admin.A/2007–Pursuant to the Government Notification No. 170/XXXVI(1)(1)/07-9-Bha.Sa./01, dated 20.04.2007, issued in exercise of powers vested U/s 36-A of N.D.P.S. Act, 1985, Sri Ramesh Chandra Khulbe, Addl. District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar, is conferred powers to preside over the Special Couret at Tehsil Roorkee, District Hardwar, constituted under N.D.P.S. Act, 1985, in addition to his duties.

April 23, 2007

No. 51/XIV/55/Admin.A/2007–Sri Nitin Sharma, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, is hereby sanctioned earned leave for 18 days, *i.e.* from 12.03.2007 to 29.03.2007.

By Order of the Court,
Sd/–
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

April 24, 2007

No. 52/XIV/26/Admin.A/2007–Sri Servesh Kumar Gupta, District & Sessions Judge, Paun Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 13 days *i.e.* from 21.03.2007 to 02.04.2007.

By Order of the Court,
Sd/–
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/194–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2007 ई0 (वैशाख 15, 1929 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्,
हरिद्वार

18 मार्च, 2007 ई0

पत्रांक 1758/एस0टी0/2006–07–नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार अपनी सीमान्तर्गत या भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) एच0एफ0 के अन्तर्गत विज्ञापन नियमावली अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन एवं पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण रखने हेतु नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार द्वारा बनाये गये उपनियम जो गजट में पृष्ठ सं0 3 ट से 5 पर दिनांक 23 मार्च, 2002 में प्रकाशित हैं, उपनियम सं0 7 के खण्ड 5, 8 एवं 9 में अंकित दरों में आंशिक संशोधन करने हेतु उपनियम बनाये गये, जो बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 354, दिनांक 08–12–2004 में स्वीकृत किये गये। नगरपालिका अधिनियम की धारा 301(2) के प्रयोजन हेतु उपनियम का प्रकाशन "दैनिक अपने लोग" समाचार पत्र के दिनांक 02–08–2006 के अंक में पृष्ठ सं0–2 पर प्रकाशित किये गये निर्धारित अवधि 30 (तीस) दिन के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, जिसे बोर्ड ने अपने प्रस्ताव सं0 618, दिनांक 02–12–2006 के द्वारा विज्ञापन नियमावली को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त उपनियम को लागू किये जाने की पुष्टि की तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशन कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

उपनियम

1. इन उपविधियों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्नलिखित होगा :–

क्र0 सं0	वर्तमान दरें	दर	क्र0 सं0	संशोधित दरें	दर
5	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड (20′ × 20′) प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम 25 विज्ञापनों के लिये इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले की आज्ञा दी जा सकेगी जिसका देय शुल्क अग्रिम रु0 1,25,000/–जमा करना होगा	रु0 5000/– वार्षिक प्रति विज्ञापन	5	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड (20′ × 20′) प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम 10 विज्ञापनों के लिये इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले की आज्ञा दी जा सकेगी जिसका देय शुल्क अग्रिम रु0 50,000/–जमा करना होगा	रु0 5000/– वार्षिक प्रति विज्ञापन

क्र० सं०	वर्तमान दरें	दर	क्र० सं०	वर्तमान दरें	दर
8	बैनर कपड़े	रु० 100/– प्रति माह प्रति बैनर	8	बैनर कपड़े	रु० 50/– प्रति माह प्रति बैनर
9	लकड़ी व लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर गेट बनाने/लगाने हेतु	रु० 500/– प्रति गेट प्रति दिन	9	लकड़ी व लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर गेट अधिकतम 3 दिन हेतु बनाने/लगाने हेतु	रु० 500/– प्रति गेट प्रति दिन
11	बैलून (गुब्बारे) पर विज्ञापन	रु० 200/– प्रति दिन	11	बैलून (गुब्बारे) पर विज्ञापन	रु० 100/– प्रति दिन
12	नया	—	12	ग्लोसाईन विज्ञापन पट्ट (विद्युत द्वारा प्रकाशित होने वाले विज्ञापन पट्ट)	रु० 75/–प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष

नोटः–उपरोक्त के अतिरिक्त विज्ञापन सम्बन्धी अन्य उपनियम पूर्व प्रकाशित गजट, दिनांक 23–03–2002 के अनुसार ही रहेंगे तथा उपरोक्त संशोधित दरें गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
हरिद्वार।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 हिन्दी गजट/194–भाग 8–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।